डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स्था0 / 2026 / 10954 दिनांकः 25 मार्च, 2026

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थान।

विषयः मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आय प्रमाणपत्र की अनिवार्यता के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–I / 1261493 / 2026 / 16–3009 / 168 / 2023, दिनांक 10.03.2026 **(प्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि महिला कल्याण अनुभाग–3 के पत्र सं0 ई–3910271 / 60–3 / 2026–सी–1705879 दिनांक 23.02.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः – निम्नलिखित को इस सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक आई0ई0टी0, लखनऊ।
2. प्राचार्य अधिष्ठाता, वास्तुकला योजना संकाय लखनऊ।
3. निदेशक सेन्टर फॉर एडवांस स्टडीज लखनऊ।
4. निदेशक यू0पी0आई0डी0नोएडा।
5. समन्वयक फॉर्मेसी एवं मैनेजमेंट संकाय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ

(रीना सिंह)
कुलसचिव

संख्या-I/1261493/2026/16-3099/168/2023

प्रेषक,

बाबूराम वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू0टी0 गोरखपुर।
4. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
6. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
7. सविच, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक-10-03-2026

विषय- 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के अंतर्गत आवेदन हेतु आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के संबंध में।-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-ई-3910271/60-3-2026-सी-1705879 दिनांक-23.02.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
BABURAM VERMA
Date: 10-03-2026
18:16:21

(बाबूराम वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(बाबूराम वर्मा)
अनु सचिव।

AR-EM- Smt. Arti
12/03

1588
13.03.26

12/3

541/सोलह-3-2026

महत्वपूर्ण

संख्या-ई-3910271/60-3-2026-सी-1705879

प्रेषक,

लीना जौहरी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

4895/NSTE/26
J.S.

25/02/26
(विनोद कुमार)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन

सेवा में,

1051/ACSTED
सचिव

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

24.02.26
(राजेन्द्र प्रताप)
निजी सचिव
अपर मुख्य सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी, 2026

विषय-"मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के अन्तर्गत किए जाने वाले आवेदनों में आय प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किए जाने हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

सचिव

महोदया,

महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है।

24.02.26
(नरेन्द्र भूषण)
अपर मुख्य सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन।

1909/STE/26
VS(V)

Verma.

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-436/60-3-2019-6(सा0)/19टीसी, दिनांक 07 मार्च; 2019 द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू0-03.00 लाख निर्धारित है। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले आवेदन पत्रों में आवेदक की आय के संबंध में नियमानुसार स्वघोषणा प्राप्त की जाती है, परन्तु आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था योजना के दिशा-निर्देशों में नहीं है। आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य न होने के कारण आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय के आंकलन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, फलतः वास्तविक पात्रता के आंकलन में कठिनाई हो रही है,

25.02.2026
(अनिल कुमार वर्मा)
निजी सचिव, श्रेणी-
सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन।

SO-3
25/02/26

26/02/26

अतः इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत सभी 06 श्रेणियों के आवेदन में आय प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किया जा रहा है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के अन्तर्गत किए जाने वाले आवेदनों में आय प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

(1) आवेदक द्वारा योजना के वेबपोर्टल पर आय प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड किया जाना आवश्यक नहीं होगा, मात्र आय प्रमाण-पत्र की संख्या अंकित की जायेगी, जिसके आधार पर उसकी आय व आय प्रमाण-पत्र का प्रमाणीकरण सम्बन्धित ए0पी0आई0 (ई-डिस्ट्रिक्ट की ए0पी0आई0) के माध्यम से किया जाना है। आय प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किए जाने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ आर्थिक रूप से पात्र परिवारों को ही प्राप्त हो।

(2) अधिकांश लाभार्थी परिवार अन्य प्रमुख शासकीय योजनाओं, जैसेः-छात्रवृत्ति, पेंशन, एवं अन्य आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले से ही आय प्रमाण-पत्र बनवाते हैं। अतः योजना में आय प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किए जाने से आवेदन प्रक्रिया जटिल अथवा बोझिल नहीं होगी। साथ ही आय प्रमाण-पत्र के आधार पर योजना में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होगी तथा अपात्र व्यक्तियों द्वारा लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना में कमी आएगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि

शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

5- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

6- वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के अन्तर्गत किए जाने वाले आवेदनों में आय प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किए जाने हेतु दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।

7- गार्ड फाइल।

Digitally signed by
AVNEESH KUMAR SINGH
Date: 23-02-2026
18:30:58

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।